आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

20
3.12.2022

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

विविध वाद सं० 2/2021–22

(1) मंगरा मुंडा, पिता स्व० करम मुंडा
(2) विष्णु मुंडा, पिता स्व० जयमंगल मुंडा
(3) मुन्नी देवी, पति स्व० गणपत मुंडा
सभी निवास– सरवाल तेतरी, थाना नामकुम, जिला– रॉची

.... आवेदक

बनाम्

मेसर्स गोल्डेन कैम्प
द्वारा साझेदार
1. श्री कमल कुमार सिंह पिता स्व० लक्ष्मी शंकर सिंह
2. श्रीमति ईला रानी पति श्री कमल कुमार सिंह
निवासी एम०आई०जी० – बी०–67 हाउसिंग कॉलोनी,
धनबाद (झारखण्ड) .... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदक मंगरा मुण्डा वैगरह द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के तहत दायर आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत उन्होने मौजा सरवल, थाना नामकुम, थाना सं० 334, के खाता सं० 201, प्लॉट सं० 2102 रकबा 59 डिसमील, प्लॉट सं० 2103 रकबा 69 डिसमील कुल रकबा 1. 28 एकड़ भूमि को विपक्षी युनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेन्ट, एल०एल०पी० द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता, श्री कमल कुमार सिंह पिता स्व० लक्ष्मी शंकर सिंह निवासी एम०आई०जी० – बी०–67 हाउसिंग कॉलोनी, धनबाद (झारखण्ड) के पक्ष में वेयर हाउस एवं लोजिस्टिक्स् की स्थापना के निमित हस्तांतरित करने हेतु अनुमति प्रदान करने का प्रार्थना किया है।

विगत तिथि को बार–बार पुकार करवाने के बावजूद आवेदन की ओर से इस पुनरीक्षण वाद मे बहस करने हेतु कोई उपस्थित नही हुआ। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक विगत कई

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

तिथियों से इस वाद मे उपस्थित नही हो रहे है। ऐसा प्रतित होता है कि आवेदक को अब इस वाद के निष्पादन हेतु कोई अभिरूचि नही रह गया है।

प्रस्तुत मामले मे अँचल अधिकारी नामकुम ने पत्रांक 1437 दिनांक 17.11.2021 के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसमे यह प्रतिवेदित किया गया है की आवेदित भूमि मौजा सरवल, खाता सं. 201 आर० एस० खतियान में बकास्त भुईहरी दर्ज है जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 2Q अन्तर्गत Privileged Land की श्रेणी में नहीं है। उपरोक्त प्रतिवेदन से विदित होता है कि अँचलाधिकारी, नामकुम ने आवेदक द्वारा धारा 49 छो० का० अधिनियम के तहत दायर आवेदन का स्वीकृत करने हेतु स्पष्ट तौर पर अनुशंसा नही किया है।

प्रस्तुत मामले मे विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता ने भी आवेदक द्वारा धारा 49 छो० का० अधिनियम के तहत दायर आवेदन का अस्वीकृत करने की अनुशंसा की है।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आवेदक मंगरा मुण्डा वैगरह द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के तहत दायर आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

इस आदेश की प्रति सभी संबधीत पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

Rahul

उपायुक्त
राँची

लेखपित एवं संशोधित

Rahul

उपायुक्त
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.04.01 12:51:30 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:24d0:3f92:988a:358d